



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश



(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल

क्रमांक / एस.एच.ए. / ए.बी. / 2022 / 800

भोपाल, दिनांक 01 / 03 / 2022

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त म.प्र.।

स्मरण पत्र

विषय :- मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना के तहत अस्थाई रूप से संबद्ध किये गये चिकित्सालयों के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय आयुष्मान भारत "निरामयम्" का पत्र क्रं./ई.ओ./ए.बी./2022/620 भोपाल, दिनांक 08.02.2022।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजनांतर्गत अस्थाई रूप से संबद्ध निजी चिकित्सालयों में अस्थाई संबद्धता के दौरान भर्ती मरीजों की पुष्टि निम्नलिखित बिन्दुओं पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था :-

1. उपचारित मरीज आयुष्मान हितग्राही है अथवा नहीं।
2. संबंधित मरीज का उपचार उक्त चिकित्सालय में हुआ है अथवा नहीं।

परन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त से संबंधित कोई भी जानकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गई है। पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची अनुसार अपने जिले में स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का उक्त बिन्दुओं के अनुसार पुष्टि कर प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सात कार्य दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

(संपना एम. लोवंशी)
कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्"

मध्यप्रदेश

क्रमांक / ई.ओ. / ए.बी. / 2022 / 801

भोपाल, दिनांक 01 / 03 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव.म.प्र.शासन,लोक स्वा.एवं.प.क. विभाग मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभाग प्रभारी अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
6. संबंधित जिला नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।

कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम्"
मध्यप्रदेश